न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 135/25 (वाद)

GCMS No. : 2025/304

अनवान

1. श्री मुकेश पिता केसुरामजी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी वांगरोदी, भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती कैलाश पुत्री नारायणसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी वांगरोदी तहसील मावली जिला उदयपुर हाल मुकाम सी.एम.एच.ओ. के पास मंडा, तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. पटवारी पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.10.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदी पटवार क्षेत्र भीमल भूअभिलेख निरीक्षक मावली तहसील मावली उदयपुर (राज०) मे पक्षकारान की क्रय की कृषि भूमियां स्थित हैं जिसके खसरा नंम्बर 299 रकबा 0.0971 हेक्टेयर है जिसमें कैलाश पिता नारायणसिंह का 1/10 वॉ हिस्सा है और मुकेश पुत्र केसीया का 9/20 वॉ हिस्सा है और सुखलाल पिता गांगा का 9/20 वॉ हिस्सा है। सुखलाल को मरे 30 वर्ष हो गये। उक्त कृर्षि भूमि मेरे पिता केसुरामजी उर्फ केसीया एवं मेरे चाचा सुखलालजी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04–12–1989 को श्री जैसिंह आदि से क्रय कि गयी लेकिन जिस समय क्रय कि गयी उसके बाद जरिये नामान्त[illegible]दार का नाम खुलकर जमाबंदी में नाम दर्ज हो गया। लेकिन विक्रेता के[illegible] पिता नारायणसिंह का नाम नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

हटाया जिससे आज 2077–2080 में आज भी कैलाश पिता दिनांक तक खाता नकल संवत् नारायणसिंह का नाम चला आ रहा है।

2. यह कि यह कृषि भूमि मेरे पिता केसुरामजी उर्फ केसीया एवं मेरे चाचा सुखलालजी द्वारा क्रय कि गयी कैलाश पिता नारायणसिंह का नाम जमाबंदी से हटवाया जावे। क्योंकि कैलाश पिता नारायणसिंह द्वारा जमीन को विक्रय करने के बाद अपना हक एवं अधिकार खो चुकी है। अब इस कृषि भूमि पर कैलाश पिता नारायणसिंह का कोई हक एवं अधिकार नही है। तथा वादी खातेदारी हक से दर्ज करवाने का अधिकारी है। मैं वादी अपने हिस्से की जमीन पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूँ। मै वादी मेरे पिता द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने तथा खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी हूँ इसलिये इस आशय की घोषणा की जावे कि वाद की कलमं सख्या एक मे वर्णित आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार है तथा कैलाश का नाम जमाबंदी से हटाया जावे। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है। यह कि प्रतिवादी कैलाश को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वाद की कालम सं. 1 में वर्णित जमीन को अन्य व्यक्ति को खुर्द कुर्द नहीं करे। तथा मेरे उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। अन्यथा प्रतिवादी कैलाश अन्य व्यक्ति को उक्त वर्णित जमीन विक्रय कर देगी।

3. अंत में निवेदन किया की वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा की जावे कि उक्त वर्णित आराजी 299 का रेकर्ड खातेदार है तथा कैलाश का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है इसे हटाया जावे। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी कैलाश के विरूद्ध स्थाई किये निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह उक्त जमीन का वादी को शांतीपूर्वक उपभोग उपयोग करने देवे। उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 2, 3 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र गवाह पीडब्ल्यू 1 स्वयं मुकेश पिता केसुराम एवं गवाह पीडब्ल्यू 2 गणेशी बाई पत्नी केसुराम डांगी के पेश किए गए। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा [illegible]गरोदी की जमाबन्दी नकल सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Runadia
Date: 2025.12.05 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

2077–80 की खाता संख्या 164 प्रदर्श 1, विक्रय पत्र दिनांक 04.12.89 असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 2ए करवाये गये। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वादी के वाद को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

5. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम वांगरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 164 पर दर्ज आराजी नम्बर 299 किता 1 कुल रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या वादी, प्रतिवादी संख्या 1 एवं सुखलाल पिता गांगा के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार के नाम दर्ज थी। जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.12.1989 से वादी के पिता एवं वादी के पिता के भाई सुखलाल द्वारा क्रय किया गया। उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि वादी के पिता एवं वादी के पिता के भाई सुखलाल के नाम दर्ज हुई। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा इनके पर दर्ज नही हुई। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन करने से जाहीर आया की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि भी वादी के पिता एवं वादी के पिता के भाई सुखलाल द्वारा क्रय की गई थी। राजस्व कर्मचारियो द्वारा अन्य खातेदारो की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया गया, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 नाम पर दर्ज भूमि को क्रेता के नाम पर दर्ज नही किया गया। राजस्व कर्मचारियो द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को क्रेता नाम पर दर्ज नही कर भारी भूल की है। जबकि वादी के पिता एवं वादी के पिता के भाई सुखलाल उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करते ही खातेदार हो चुके थे। यह केवल लिपिकिय त्रूटि से ही प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज चली आ रही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी [illegible] किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम वांगरोदी पटवार हल्का भीमल तह[illegible] मावली जिला उदयपुर की नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 164 पर दर्ज आराजी नम्बर 299 किता 1 कुल रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/10 हिस्से से, वादी के नाम 9/20 हिस्से से तथा सुखलाल पुत्र गांगा के नाम 9/20 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी के नाम 1/2 हिस्से तथा सुखलाल पुत्र गांगा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मुकेश पिता केसुरामजी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी वांगरोदी, भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती कैलाश पुत्री नारायणसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी वांगरोदी तहसील मावली जिला उदयपुर हाल मुकाम सी.एम.एच.ओ. के पास मंडा, तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. पटवारी पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 135/25 (वाद)
GCMS No. : 2025/304

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम वांगरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 164 पर दर्ज आराजी नम्बर 299 किता 1 कुल रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/10 हिस्से से, वादी के नाम 9/20 हिस्से से तथा सुखलाल पुत्र गांगा के नाम 9/20 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी के नाम 1/2 हिस्से तथा सुखलाल पुत्र गांगा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested